न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

दायरा दिनांक 04.09.2024

प्र0सं0 07/24

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1–हजारी पुत्र ठाकुरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तह0 शाहाबाद जिला बारांराज0
2–रघुवीर पुत्र ठाकुरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तह0 शाहाबाद जिला बारांराज0
3–कला पुत्री ठाकुरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तह0 शाहाबाद जिला बारांराज0
4–अमरलाल पुत्र सुंदरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तह0 शाहाबाद जिला बारां राज0
5–मुकेशकुमार पुत्र खच्चू जाति चमार निवासी कलोनी तह0 शाहाबाद जिला बारांराज0
6–फूलवती पुत्री खच्चू जाति चमार निवासी कलोनी तह0 शाहाबाद जिला बारां राज0
7–सन्ती बेवा खच्चू जाति चमार निवासी कलोनी तह0 शाहाबाद जिला बारां राज0
8–फूलचन्द पुत्र भंवरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तह0 शाहाबाद जिला बारांराज0
9–माखनलाल पुत्र काशीलाल जाति चमार निवासी कलोनी तह0 शाहाबाद जिला बारां राज0
10–देपाल पुत्र काशीलाल जाति चमार निवासी कलोनी तह0 शाहाबाद जिला बारांराज0
11–जानकी पुत्री काशीलाल जाति चमार निवासी कलोनी तह0 शाहाबाद जिला बारां राज0
12–रमेश पुत्र मुकन्दी जाति चमार निवासी कलोनी तह0 शाहाबाद जिला बारां राज0
13–जीवनलाल उर्फ सुआलाल पुत्र मुकन्दी जाति चमार निवासी कलोनी तह0 शाहाबाद जिला बारां राज0 प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां (राजस्थान) अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956

<u>निर्णय दिनांक– 26.08.2025</u>

उपस्थित–
प्रार्थीगण की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से – एकपक्षीय

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कलोनी पटवार हल्का मुन्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 में आराजी ख0नं0 8/769 रकबा 0.03 बीघा, ख0नं0 8/780 रकबा 1.09 बीघा, ख0नं0 379 रकबा 0.08 बीघा, ख0नं0 [illegible] बीघा, ख0नं0 392 रकबा 0.18 बीघा, ख0नं0 397 रकबा 0.03 बीघा, ख0नं0 [illegible] 1.09 बीघा, ख0नं0 662/801 रकबा 5.10 बीघा, ख0नं0 664 [illegible] ख0नं0 668 रकबा 3.07 बीघा, ख0नं0 688 रकबा 7.15 बीघा व ख0नं0 69[illegible] रकबा 7.15 बीघा कुल किता 12 कुल रकबा 58.02 बीघा स्थित है, जिसे अब विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी के मूल खातेदार खेमू पुत्र था[illegible] चमार निवासी कलोनी रहें हैं उनका देहान्त हो चुका है, वारिसान का सजरा प्रथक से पेश है। खेमू की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरकरण संख्या 184 से पुत्र सुन्दरलाल व भंवरलाल हिस्सा 1/2, बेवा कल्लो हिस्सा 1/4 तथा मृत पुत्र मुकन्दी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.18 14:36:55 IST
Reason: SelfAttested

26/08/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

वारिसान पुत्र काशीलाल रमेश जीवनलाल उर्फ सुआलाल बेवा तीजो हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया गया है। इसके उपरांत सुन्दरलाल के स्थान पर सुन्दरलाल के वारिसान पुत्र ठाकुरलाल खच्चू अमरलाल व बेवा लाडो हिस्सा 1/4 पर नामान्तरकरण संख्या 227 से दर्ज किये गये हैं, जिसका अंकन जमाबंदी 2043–46 में किया गया है। इसके बाद जमाबंदी 2047–50 बनाते समय सुन्दरलाल के वारिसान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/2 तथा भंवरलाल पुत्र खेमू व कल्लो बेवा खेमू दोनो का हिस्सा 1/4 गलत दर्ज कर दिया, जबकि इन दोनो का हिस्सा 1/4–1/4 रहा है। इसके बाद जमाबंदी 2055–58 में कल्लो बेवा खेमू का नाम हटाकर ठाकुरलाल खच्चू अमरलाल पुत्र सुंन्दरलाल मु. लाडो बेवा सुन्दरलाल हिस्सा 1/2, भंवरलाल पुत्र खेमू हिस्सा 1/4 तथा काशीलाल रमेश जीवनलाल उर्फ सुआलाल हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया। इस जमाबंदी के बनाये जाने के पूर्व कल्लो बेवा खेमू की मृत्यु हो चुकी थी, इस कारण कल्लो का हिस्सा 1/4 उसके तीनो पुत्रों व वारिसान में बराबर बराबर दर्ज करना चाहिये था। वर्तमान जमाबंदी में मृतक खेमू के वैधानिक वारिसान प्रार्थीक्रम 1 ता 7 का हिस्सा 1/2 दर्ज है, जबकि प्रार्थीक्रम 1 ता 3 का हिस्सा 1/8, प्रार्थीक्रम 4 व मृतक लाडो बेवा सुन्दरलाल का हिस्सा 1/4 तथा प्रार्थीक्रम 5 ता 7 का हिस्सा 1/8 दर्ज है। जबकि प्रार्थीक्रम 1 ता 3 का हिस्सा 1/12, प्रार्थीक्रम 4 व मृतक लाडो बेवा सुन्दरलाल का हिस्सा 2/12, प्रार्थीक्रम 5 ता 7 का हिस्सा 1/12, प्रार्थीक्रम 8 का हिस्सा 1/3, प्रार्थीक्रम 9 ता 11 का हिस्सा 1/9 तथा प्रार्थीक्रम 12 व 13 का हिस्सा 2/9 होना चाहिये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार शाहावाद ने जबाव पेश कर फूलचन्द पुत्र भंवरलाल का हिस्सा 1/3, माखनलाल देपाल पुत्र काशीलाल जानकी पुत्री काशीलाल हिस्सा 1/9, रमेश जीवनलाल उर्फ सुआलाल पुत्र मुकन्दी हिस्सा 2/9 हि.बरा., हजारी रघुवीर पुत्र ठाकुरलाल कला पुत्री ठाकुरलाल हिस्सा 1/12, मुकेशकुमार पुत्र खच्चू फूलवती पुत्री खच्चू सन्ती पत्नि खच्चू हि. 1/12, अमरलाल पुत्र सुन्दरलाल लाडो पत्नि सुन्दरलाल हि. 1/6 से दर्ज किये जाने का कथन किया। वकील प्रार्थी को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी ग्राम कलोनी सम्वत 2075–78 में विवादित आराजी प्रार्थीक्रम 1 लगायत 3 के नाम हिस्सा 1/8, प्रार्थीक्रम 4 व लाडो बेवा सुन्दरलाल के नाम हिस्सा 1/4 हि.बरा., 5 लगायत 7 के नाम हिस्सा 1/8, प्रार्थीक्रम 8 के नाम हिस्सा 1/4, प्रार्थीक्रम 9 लगायत 11 के नाम हिस्सा 1/12 तथा प्रार्थीक्रम 12 व 13 के नाम हिस्सा 1/6 हि.बरा. से दर्ज है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible] अनुसार मलखातेदार खेमू के 3 पुत्र क्रमशः मुकन्दी सुन्दरलाल भंवरलाल तथा बेवा कल्[illegible]ना बताया गया है। प्रस्तुत पट्टा भूप्रबन्ध अनुसार प्रार्थना[illegible] वर्णित [illegible] खाता संख्या 430 किता 12 कुल 58.02 बीघा खेमू पुत्र [illegible] के खाते की [illegible] है तथा खेमू की मृत्यु के बाद उक्त आराजी सुन्दरलाल भंवरलाल पुत्र खेमू हिस्सा 1/2, कल्लो बेवा खेमू हिस्सा 1/4 तथा मृत पुत्र मुकन्दी के वारिसान पुत्र [illegible]लाल रमेश जीवनलाल पुत्र तथा बेवा तीजो हिस्सा 1/4 से जमाबंदी सम्वत 2037–40 में सही दर्ज की गई है। प्रस्तुत जमाबंदी 2043–46 अनुसार सुन्दरलाल के फोत होने पर सुन्दरलाल के वारिसान पुत्र ठाकुरलाल खच्चू अमरलाल तथा बेवा लाडो का नाम सही दर्ज किया गया है। जमाबंदी 2047–50 में सुन्दरलाल के वारिसान के नाम हिस्सा 1/2 तथा भंवरलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.18 14:36:55 IST
Reason: SelfAttested

26/08/2025

उपखण्ड अधिकारी

पुत्र खेमू व कल्लो बेवा खेमू के नाम हिस्सा 1/4 सर्वथा गलत दर्ज किया गया है और यहीं से इन्द्राज गलत होना पाया जाता है। खातेदार कल्लो की मृत्यु हो जाने से कल्लो का नाम खाते से खारिज किया जाकर कल्लो का हिस्सा 1/4 विरासतन शेष खातेदारान में मर्ज किया जाना चाहिये था और तब सुन्दरलाल के वारिसान का संयुक्त हिस्सा 1/3, भंवरलाल का हिस्सा 1/3 तथा मुकन्दी के वारिसान का संयुक्त हिस्सा 1/3 दर्ज किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया है, जिससे खातेदारान के हिस्सों में विसंगति आ गई है, जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के वैध हकदार पाये जाते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम कलोनी पटवार हल्का मुन्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 की आराजी ख0नं0 8/769 रकबा 0.03 बीघा, ख0नं0 8/780 रकबा 1.09 बीघा, ख0नं0 379 रकबा 0.08 बीघा, ख0नं0 387 रकबा 0.09 बीघा, ख0नं0 392 रकबा 0.18 बीघा, ख0नं0 397 रकबा 0.03 बीघा, ख0नं0 475 रकबा 1.09 बीघा, ख0नं0 662/801 रकबा 5.10 बीघा, ख0नं0 664 रकबा 28.16 बीघा, ख0नं0 668 रकबा 3.07 बीघा, ख0नं0 688 रकबा 7.15 बीघा व ख0नं0 691 रकबा 7.15 बीघा कुल किता 12 कुल रकबा 58.02 बीघा ग्राम कलोनी तहसील शाहावाद को दुरूस्त कर प्रार्थीकम 1 लगायत 3 के नाम हिस्सा 1/12 हि.बरा., प्रार्थीकम 4 व लाडो बेवा सुन्दरलाल के नाम हिस्सा 1/6 हि.बरा., प्रार्थीकम 5 लगायत 7 के नाम हिस्सा 1/12, मुन्नीबाई श्रीमति मक्खोबाई कमलाबाई द्वारा हकत्याग कर दिये जाने से प्रार्थीकम 8 के नाम हिस्सा 1/3, प्रार्थीकम 9 लगायत 11 के नाम हिस्सा 1/9 हि.बरा., प्रार्थीकम 12 के नाम हिस्सा 1/9 व प्रार्थीकम 13 के नाम हिस्सा 1/9 से खाता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

26/08/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.18 14:36:55 IST
Reason: SelfAttested